न्यायालय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या–239/2015

राज्य प्रति छोटे खरवार

आरोप

मैं डी०के० श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप अभियुक्त छोटे खरवार को निम्न आरोपो से आरोपित करता हूं।

1–यह कि दिनांक 27/28–10–2012 की रात्रि में बहद स्थान कस्बा खडडा वार्ड नं० 2, थाना खडडा जनपद कुशीनगर में आपने वादी प्रदीप शर्मा के घर में चोरी की नीयत से रात्रि में गृह भेदन किया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 457 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

2–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपने वादी प्रदीप शर्मा के घर में घुसकर उसका डबल सिम मोबाइल सेमसग सी–5212 व पड़ोसी गुडडू चाय वाले की मोबाइल, रामजी कुशवाहा का नोकिया मोबाइल 1600 मोबाइल तथा गंगाधर का मोबाइल सेट चुरा लिया। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 380 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

3–यह कि दिनांक 18–11–2012 को एस०आई० देवतानन्द सिंह व अन्य पुलिस कर्मचारी गण के समक्ष आपके कब्जे से ब्लाक तिराहा बसडीला, थाना खडडा कुशीनगर में कुल 12 अदद मोबाइल विभिन्न कम्पनी के इस्तेमाली बरामद किये गये जिन्हे आप चोरी का जानते हुए अपने पास रखे थे तथा जिनके सम्बन्ध में आपके पास कोई कागजात नहीं थे। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 411 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ।

4–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर चुराई गयी मोबाइल को अभ्यसतः व्यापार करने हेतु आप अपने पास राखे थे। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 413 के तहत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(डी०के० श्रीवास्तव)

दिनांक–21.05.2015

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाये एवं समझाये गये । अभियुक्त ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

(डी०के० श्रीवास्तव)

दिनांक–21.05.2015

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर।